रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2008/पौष 25, 1929

No. 64] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2008/PAUSA 25, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2008

का.आ. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इसका संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची 1 संशोधन आदेश, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 1 में,—

(i) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8 (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई व्यस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके ।

(2) किसी व्यस्क कर्मकार के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हों";

(ii) पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8-क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।"

[फा. सं. जे-11011/2/2007-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2008

S.O. 88(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), and being satisfied that it is necessary and expedient to amend Schedule I of the Act, the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule I of the Act, namely :—

1. (1) It may be called the National Rural Employment Guarantee Act, Schedule I Amendment Order, 2008.

   (2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005,—

   (i) for paragraph 8, the following paragraph shall be substituted, namely :—

   "8 (1) The Schedule of rates of wages for various unskilled labourers shall be so fixed that an adult person working for nine hours would normally earn a wage equal to the wage rate.

   (2) The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day";

   (ii) after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely :—

   "8-A. The average out-turn of work put out by men and women workers working in a group will be the basis for fixing task based Schedule of rates so that there is no gender based discrimination in the Schedule of rates.

[F. No. J-11011/2/2007-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.